(CNR N0- UPDE 01000551-2022)
(J.O. Code- U P 6106)

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष संख्या– 01, देवरिया
सिविल अपील संख्या–15/2022,
अधिशासी अभियन्ता जल निगम –प्रति– गीता देवी आदि

24–01–2024

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 19ग व आपत्ति 20ग

प्रार्थी/ अपीलार्थी उ0 प्र0 जल निगम द्वारा प्रार्थना–पत्र 19ग इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि दौरान मुकदमा प्रतिपक्षी गीता देवी ने विवादित भूमि में नव निर्माण कर लिया है। अपील के उचित, विधिक एवं न्यायपूर्ण निर्णयन हेतु मौके की दृष्टि चित्र जरिए अदालत अमीन से मगवाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत होगा। अतः प्रार्थी/अपीलकर्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अदालत अमीन को आदेशित किया जावे व वे मौके व वर्तमान दृष्टि चित्र बनावे तथा सभी वस्तुओ को उचित स्थान पर दिखावें।

प्रार्थना–पत्र 19ग के विरूद्ध आपत्ति कागज संख्या–20ग प्रार्थीगण/ प्रतिउत्तदातागण गीता देवी आदि द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र अपीलार्थी खिलाफ कानून व तथ्यो के है । मूलवाद में प्रत्युत्तरदाता गीता आदि ने भूखण्डो की स्थिति के बारे में कोई विवाद निषेधाज्ञा वाद दाखिल किया है, भूखण्डो की स्थिति के बारे में कोई विवाद नही है दोनो पक्षो को भूखण्डो की संख्या स्वीकार है तथा भूखण्ड नम्बर भी स्वीकार है। विवादित भूखण्डो में प्रत्युत्तरदाता गीता आदि का निर्माण भुखण्ड के आवंटन के तत्तकाल बाद कर लिया गया है, तथा भुखण्ड सं० HJG में भी भवन का निर्माण करा लिया है। सभी निर्माण अपील दाखिल होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करने के पूर्व का है , मूलवाद में निर्णय होने के पश्चात कोई भी निर्माण विवादित भूखण्ड में नही हुआ है। इस कारण इस स्तर पर मौके का कोई नक्शा बनने की आवश्यकता नही है। गीता देवी द्वारा निर्माण शुरू करने पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में निर्माण रोकने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जो खारिज हो गया। अपीलार्थी का एक मात्र उद्देश्य अपील को लम्बित रखने का है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अपील के निस्तारण में नक्शा नजरी किसी प्रकार से मददगार नही होगा, अधीनस्थ न्यायालय में मौके का नक्शा नजरी बनी हुई है। प्रार्थना पत्र अपीलार्थी मैलाफाइड है। प्रार्थना पत्र अपीलार्थी पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र अपीलार्थी कानूनन व वाक्यातन हरतौर पर निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.01.2024 निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

मेरे द्वारा उभय पक्षों को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र 19ग विवादित भूमि में प्रतिपक्षी गीता देवी द्वारा नवनिर्माण किए जाने के अधार पर अपील के उचित विधिक एवं न्यायपूर्ण निर्णयन हेतु मौके के

.....2/–

दृष्टिचित्र जरिए अदालत अमीन मॅगवाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है । अपीलार्थी द्वारा योजित अपील मे लिए गये आधार के अनुसार प्रतिपक्षी गीता देवी द्वारा योजित मूलवाद संख्या– 388/ 2007 अपीलार्थी के विरूद्ध डिक्री हुआ और उसे विवादित भूखण्डो पर सम्बन्धित वादीगण के कब्जा दखल मे हस्तक्षेप करने, उनके बेदखल करने और उनके निर्माण कार्य में अवरोध न करने तथा उक्त भू–खण्ड किसी और के पक्ष में आवंटित न करने एवं विक्रय विलेख निष्पादित न करने से निषेधित किया गया है। मूलवाद दिनॉक– 23–12–2021 को निर्णीत हुआ ।

अपीलार्थी द्वारा मूल वाद में दाखिल जवावदावा कागज संख्या– 45क के अनुसार प्रत्यर्थीगण गीता देवी आदि को आवंटित भू–खण्ड पर अपीलार्थी का विधिक अधिकार है क्योकि उ0 प्र0 संगठित विकास योजना द्वारा पूर्वनिर्धारित व विकसित भुजौली रोड आवासीय योजना नगरपालिका परिषद देवरिया प्रतिवादीगण द्वारा प्रारंभ किया गया जिसके कुछ नियम एवं उपनियम भी उ0 प्र0 सरकार द्वारा बनाए गये है, उक्त योजना को क्रियान्वयित करने हेतु एक समिति चयनित नगरों मे स्थानीय स्तर पर गठित नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति मे दिए गये बाईलॉज के अनुसार बनाई गयी है और उक्त भू–खण्ड, अपीलार्थी उ0 प्र0 जल निगम को प्रतिवादी संख्या– 2 नगरपालिका परिषद देवरिया द्वारा आवंटित हुआ था । उपरोक्त योजना मे दिए गये नियम एवं शर्तो के अनुसार ही पक्षकारों को विनियमित होना था । किसी भी नियम अथवा उप नियम का किसी पक्ष द्वारा उल्लंघन करने पर समिति को आवंटन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार था । योजना मे एक नियम यह भी था कि खासकर खाली भू–खण्डों की प्रविष्टि की लीज डीड की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि से पॉच साल के अन्दर समिति द्वरा अनुमोदित नक्शे के अनुसार मकान निर्मित लेना होना अन्यथा भू–खण्ड समिति द्वारा वापस लिया जा सकता है। पॉच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के काफी दिनों यादि 10–12 वर्ष तक प्रतिवादी संख्या– 01 द्वारा निर्माण नही किया गया तो तत्तकालीन अध्यक्ष नगरपालिका परिषद देवरिया एवं समिति के दिनॉक– 14–07–1997 के प्रस्ताव के अनुसार आवंटन को निरस्त कर दिया गया और नये सिरे से अखबार मे प्रकाशन कराकर प्रत्यर्थी गीता देवी व अन्य लोगो के पक्ष मे तत्तकालीन अध्यक्ष द्वारा उक्त प्लॉट को आवंटित कर दिया गया ।

अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो मे लिए गये उपरोक्त आधार के अनुसार प्रत्यर्थीगण गीता देवी आदि को आवंटित 17 भूखण्ड उसे दिनॉक– 13–03–1985 को आवंटित हुआ था, परन्तु प्रतिवादी संख्या– 2 नगरपालिका परिषद ने नीजी लाभ तथा मेली मददगारों को लाभ पहुॅचाने के लिए दिनॉक– 29–11–1998 को सूचना निकाला कि उसके पक्ष मे हुए आवंटन को दिनॉक– 14–07–1997 को निरस्त कर दिया । अर्थात हस्तगत अपील मे अपीलीय न्यायालय को इस पर विचार करना है कि प्रश्नगत भू–खण्ड का आवंटन प्रत्यर्थीगण गीता देवी आदि के पक्ष मे विधिनुसार किया गया अथवा नही । प्रत्यर्थीगण ने अपनी आपत्ति में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होने आवंटित भू–खण्ड पर निर्माण कर लिया है । इन समस्त तथ्यों को दृष्टिग्त रखते हुए

.....3/–

मौके की स्थिति हेतु अमीन आख्या तलब करने की कोई आवश्यकता इस स्तर पर प्रतीत नहीं होती है क्योकि भू–खण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में निष्कर्ष आवंटन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया, नियम व शर्तो आदि के आधार पर किया जाना आपेक्षित है न कि मौके पर हुए निर्माण के आधार पर ।

यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत भू–खण्डों का आवंटन पहले अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था, परन्तु बाद में वह भू–खण्ड प्रत्यर्थीगण गीता देवी आदि को आवंटित कर दिया गया । मूलवाद में मौके की स्थिति से सम्बन्धित अमीन आख्या 17ग एवं नक्शा 18ग/ 1 ता 18ग/ 2 पत्रावली मे दाखिल है । मूलवाद मे पारित निर्णय के अनुसार उक्त भू–खण्ड पर प्रतिवादीगण को कार्यवाही करने हेतु निषेधित किया गया था । इन परिस्थितियों में यदि उक्त भू–खण्ड पर वर्ष 2021 के बाद अथवा उससे पूर्व कोई निर्माण हुआ है तो वह अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नही पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 19ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनॉक– 29–01–2024 को पेश हो ।

(इन्दिरा सिंह)
अपर जिला जज,
कक्ष संख्या–01,देवरिया